C.NO. 42/2010 (161/2010) रतन V/S कालू

07/4/14	पत्रावली पेश हुई वकील वादी अनु० वकील वादी को आज [illegible] बजे तक इन्तजार कर तीन बार आवाज लगवाई गई किन्तु वे अनु० रहे हैं। ना ही उनके कोई प्रतिनिधि उप० अतः वादी का वाद इस स्तर पर अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली [illegible] जमा की जावे

उपखण्ड अधिकारी
अंराई (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2024.05.27 18:24:55 IST
Reason: SelfAttested